न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1907–तीन/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–9–2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 1872/निग0/96–97.

अमरीष कुमार बाजपेई तनय श्री शिव विशाल वाजपेई
निवासी जानकी कुण्ड, उप तहसील मझगवां
तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– महंत त्रिवेणीदास चेला महंत जुगु किशोरदास
सुतीक्षण आश्रम सेलहरा जिला सतना म.प्र.
काशी प्रसाद तनय लल्लीराम
2– शासन म0प्र0 जरिये पटवारी हल्का नयागांव
3– महंत श्री नृत्य गोपालदास जी महाराज
गुरू मंत श्री राम मनोहरदास जी महाराज
तिनवासी श्री मणिरामदास जी
महराज की छावनी श्री अयोध्या जी
जिला फैजाबाद उ.प्र. ——— अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. श्रीवास्तव ।

:: आदेश ::
(आज दिनांक 13/10/2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 1872/निग0/96–97 में पारित आदेश दिनांक 21–9–2000 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी नयागांव वृत्त बरौंध तहसील रघुराज नगर द्वारा विचारण न्यायालय में इस आशय का पत्र प्रस्तुत किया कि मौजा नयागांव की आराजी नं. 936/2 रकबा 0.209 हैक्टा का पट्टा संदेहास्पद है, अतः इसकी जांच करने का अनुरोध किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक क्र. 1 से जबाव आहूत किया तदुपरांत नायब तहसीलदार ने पटवारी प्रतिवेदन सही न मानते हुए उसे निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जिसमें उन्होयंने दिनांक 3–3–97 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को आवश्यक निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो उन्होंने आलोच्य द्वारा स्वीकार की एवं एस.डी.ओ. के आदेश को निरस्त किया । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किए गए हैं ।

4/ अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।

5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण आलोच्य भूमि के आधिपत्य के संबंध में है । प्रकरण में अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है । उन्होंने अभिलेख के आधार पर यह पाया है कि विवादित भूमि के भूखंड के भूमिस्वामी अनावेदकगण हैं । उन्होने यह भी पाया है कि विवादित भूमि संहिता की धारा 239 के तहत केशवदास को बाग लगाने हेतु दी गई थी, अनुविभागीय अधिकारी के इस अभिमत का कोई प्रमाण अभिलेख में नहीं है । आवेदकों के हितबद्ध पक्षकार होने के संबंध में भी यह पाया है कि विवादित भूमि पर उसका किसी प्रकार का हक/अधिकार नहीं है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में नायब तहसीलदार, बरौधा द्वारा प्र0क0 72/अ–6/93–94 में पारित आदेश दिनांक 13–9–94 के आधार पर यह भी पाया है कि विवादित भूखंड पर आवेदक का कब्जा मात्र 5 विश्वा पर था जो निरस्त हो चुका है और इस कारण उन्होंने आवेदक को प्रभावी पक्षकार न मानते

हुए निगरानी स्वीकार की है । अपर आयुक्त का आदेश विधिक प्रकिया के अनुसार होकर अभिलेख पर आधारित है और उसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है, जिस कारण प्रकरण में हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर